

राजनीति विज्ञान - बी.ए. प्रथम वर्ष

अब्दुल क़ैश
सहायक प्राध्यापक राजनीति
विज्ञान और शाह महविद्यालय
सासाराम

राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, इनमें सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, इसकी उत्पत्ति एवं विकास में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है जिसे ईश्वर ने शासन प्रबंधन हेतु नियुक्त किया है। राजा अपने सभी कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, मनुष्यों के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इस सिद्धांत का जन्म उस समय हुआ जब धार्मिक और राजनैतिक शक्तियाँ एक दूसरे से धबिठ रूप से संबद्ध थीं। प्राचीन समाजों में इस बात के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि राजा मुख्य पुरोहित का भी कार्य करता था। उस समय मनुष्य राजा की आज्ञा का पालन इसलिए करते थे क्योंकि वे मानते थे कि राजा में दैवीय शक्ति निहित होती है और अगर वे राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो राजा अपनी दैवीय शक्ति द्वारा उनका विनाश कर देगा। उस समय मनुष्य का विवेक विकसित नहीं हुआ था न ही वैज्ञानिक ढंग से मनुष्यों ने समाज का अध्ययन प्रारंभ किया था जिसके कारण सभी विषय ईश्वर पर आकर रुक जाते थे।

प्राचीन समाजों में यही सिद्धांत प्रचलित था। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है जैसे महाभारत, गीता इत्यादि। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये प्रणाली केवल भारतीय समाजों में ही नहीं प्रचलित थी बल्कि प्राचीन मिश्र एवं चीन के समाज में भी दैवीय सिद्धांत परिलक्षित होता है। ईश्वर एवं राज्य के बीच संबंध को रेखांकित करते हुए प्लूटार्क ने लिखा है कि "एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परन्तु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। 16वीं एवं 17वीं इस मान्यता को लेकर संघर्ष की शुरुआत हुई। Protestants Reformation ने राज्य शक्ति को ईश्वर द्वारा विरचित बताया तथा इस बात का बकालत की कि राज्याज्ञा मानना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। Luther, Calvin, Zwingli

जैसे विचारक इस पर एकमत थे। Protestant Reform के दौरान एक ऐसा वर्ग भी था जिन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य एक मानवीय संस्था है।

डॉ. फिगिस ने दैवीय अधिकार सिद्धांत के कुछ आधार बताए हैं जो निम्नलिखित हैं :-

- (1): ⇒ राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है इसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है।
- (2): ⇒ वंशक्रम द्वारा उदित उत्तराधिकार के सिद्धांत को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- (3): ⇒ राजा अपने समस्त कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है।
- (4): ⇒ किसी भी परिस्थिति में जनता राजा की आज्ञाओं का विरोध नहीं कर सकती।

इस सिद्धांत के समर्थक विद्वानों में जेम्स प्रथम, लुई XIV तथा शार्ल्ट फिल्लर का नाम उल्लेखनीय है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सिंहासन पर बैठने से कुछ वर्ष पूर्व 'The True Law of a Free Monarchy' नामक पुस्तक लिखी जिसके अन्तर्गत उन्होंने इस सिद्धांत को विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया। उनका मानना है कि राजा के अधिकार दैवीय हैं और जनता उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती है। ब्रिटेन की संसद को दिये एक भाषण में जेम्स प्रथम ने कहा था कि "राजा एवं ईश्वर में इतनी साम्यता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है।" शार्ल्ट फिल्लर ने भी अपनी पुस्तक 'Patriarcha' में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया। उसका तर्क था कि राजतंत्र स्वाभाविक है, जिस प्रकार कुटुम्ब का मुखिया पिता होता है ठीक उसी प्रकार राज्य का मुखिया राजा होता है। 17 वीं शताब्दी के पश्चात इस सिद्धांत का क्षरण होने लगा था। इसका स्थान सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने ले लिया जिसकी मूल मान्यता यह है कि राज्य एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण लोगों ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। इस सिद्धांत पर 18 वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की राज्य क्रांति ने भयंकर आघात किया। यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि 18 वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते यह सिद्धांत भी लुप्तप्राय हो गया था।

इस सिद्धांत के लुप्त होने के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित हैं।

- ① ⇒ यह सिद्धांत राजाओं की स्वेच्छाचारीता पर आधारित था।
- ② ⇒ शासन संचालन की प्रक्रिया में जनता की कोई भागीदारी नहीं थी।
- ③ ⇒ जनता के अधिकार नगण्य थे जबकि कर्तव्यों की सूची लंबी थी जिसमें राज्याज्ञा का पालन करना सर्वप्रमुख था।

महत्व ⇒ इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सिद्धांत नितांत ही अवैज्ञानिक है। यह निरंकुशता तथा स्वेच्छाचार पर आधारित है लेकिन इस सिद्धांत ने भय एवं धर्म के आधार पर उस समय समाज को व्यवस्थित एवं संगठित करने का कार्य किया जब समाज विखण्डन एवं अराजकता की स्थिति में था।